



## लोकसभा में पारति हुआ कंपनी संशोधन वधियक

### चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने कंपनी अधिनियम (Companies Act) संशोधन वधियक पारति कर दिया है।

### संशोधन के प्रमुख बदि

- यदि कोई कंपनी अपने द्वारा नरिधारति कॉर्पोरेट सामाजकि दायत्वि (Corporate Social Responsibility-CSR) फंड की राशिएक नश्चिति अवधिमैं खर्च नहीं करेगी तो वह राशिस्वयं ही एक वशिष खाते में जमा हो जाएगी।
- भारत ऐसा पहला देश है जसिने देश की सभी कंपनयिों के लयि CSR की धनराशिको खर्च करना कानूनी रूप से अनविर्य बना दिया है।
- सभी कंपनयिों को एक साल में CSR को खर्च करने से संबंधति प्रस्ताव तैयार करना होगा और अगले तीन सालों में उस प्रस्ताव पर धनराशि खर्च करनी होगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, नमिनलखिति कंपनयिों को अपने तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत हसिसा CSR पर खर्च करना होगा :

- जनिका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधकि है।
- जनिका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधकि है।
- जनिका औसत लाभ 5 करोड़ या उससे अधकि है।

- इसके अतरिकित NCLT के भार को कम करने के लयि यह तय कयिा गया है कि 25 लाख तक के वविादों का नपिटारा क्षेत्रीय स्तर का अधकिारी करेगा।
- इस संशोधन से पूरव कुल 81 प्रकार के कानून उल्लंघनों को आपराधकि श्रेणी में शामिल कयिा जाता था, परंतु संशोधन के पश्चात् इनमें से 16 को सविलि मामलों में शामिल कर दिया गया है।

### संशोधन के प्रमुख उद्देश्य :

- संशोधन का प्रमुख उद्देश्य CSR के नयिमों को और अधकि सखत्त बनाना है।
- इसके अतरिकित संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण (National Company Law Tribunal-NCLT) के कार्यभार को कम करने का भी प्रयास कयिा जाएगा।

### कंपनी अधिनियम (Companies Act)

- कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था।
- यह अधिनियम भारत में कंपनयिों के नरिमाण से लेकर उनके समापन तक सभी स्थितियिों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
- कंपनी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण की स्थापना हुई है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 ने ही 'एक व्यक्तिकंपनी' की अवधारणा की शुरुआत की।

### राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण

## (National Company Law Tribunal-NCLT)

- NCLT का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 के तहत किया गया था।
- NCLT कंपनियों के दवालयिा होने से संबंधति कानून पर जस्टिस इराडी कमेटी की सफिरशि के आधर पर 1 जून, 2016 से काम कर रहा है।
- NCLT एक अर्द्ध-न्यायकि नकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधति मुद्दों पर नरिणय देता है।
- NCLT में कुल ग्यारह पीठ हैं, जसिमें नई दल्लिी में दो (एक प्रमुख) तथा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलूरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एक-एक पीठ है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/lok-sabha-nod-to-companies-amendment-bill>

